न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–71/10 (2010/00013)

1. श्रीमती छोटीदेवी धर्मपत्नी श्री तेजपाल यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम मण्डा–भिण्डा तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. श्रीमती बिमलादेवी धर्मपत्नी स्व. श्री नन्दकिशोर शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम मण्डा–भिण्डा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
3. श्रीमती सीतादेवी उर्फ गीतादेवी धर्मपत्नी श्री सीताराम पारीक जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती मनभर देवो बेवा स्व. प्रभूनाथ,
2. सुशीलादेवी पुत्र स्व. प्रभूनाथ,
3. झूमादेवी पुत्री स्व. प्रभूनाथ,
4. कैलाश पुत्र स्व. प्रभूनाथ,
5. कजोड़ पुत्र स्व. प्रभूनाथ,
6. सीताराम पुत्र स्व. प्रभूनाथ,
7. मंगल पुत्र स्व. प्रभूनाथ, समस्त जाति जोगी, निवासी ग्राम मण्डा–भिण्डा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमू, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–72/10 (2010/00014)

1. कमलेश पुत्र मुरलीधर योगी,
2. श्रीमती पिंकी देवी पत्नी मोतीलाल योगी, जाति जोगी, निवासी ग्राम बाईकाबास, ग्राम पंचायत मण्डा भिण्डा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती मनभर देवी बेवा स्व. प्रभूनाथ,
2. सुशीलादेवी पुत्र स्व. प्रभूनाथ,
3. झूमादेवी पुत्री स्व. प्रभूनाथ,
4. कैलाश पुत्र स्व. प्रभूनाथ,
5. कजोड़ पुत्र स्व. प्रभूनाथ,
6. सीताराम पुत्र स्व. प्रभूनाथ,
7. मंगल पुत्र स्व. प्रभूनाथ, समस्त जाति जोगी, निवासी ग्राम मण्डा–भिण्डा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमू, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांकः 27.08.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू के आदेश दिनांक 23.04.2010 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पति व पिता प्रभूनाथ पुत्र अर्जुननाथ जोगी ने एक आवेदन अन्तर्गध धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी आमेर के यहॉ प्रस्तुत किया जो बाद में उपखण्ड अधिकारी चौंमू के यहॉ स्थान्तररित हो गया, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज प्रभूनाथ ने अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में यह निवेदन किया कि "साबिक खसरा नमबर 654 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा ग्राम मण्डा भिण्डा का नियमन दिनांक 08.12.64 को प्रभूनाथ के हक में हुआ और उसका नियमन पत्र उसे 1972 मे मिला, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 31.03.76 को गैर खातेदारी का खुल गया तथा नियमन की शर्तो की पालना के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक 05.07.1989 को खातेदारी का खुल गया, दौरान हाल बन्दोबस्त साबिक खसरा नम्बर 654 के हाल खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.56 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नमबर 1254 रकबा 0.41 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1253/1524 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1253/1525 रकबा 0.02 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.99 हैक्टयर होता है, रेस्पोडेन्ट के पति व पिता प्रभूनाथ ने अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से हाल खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.46 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 1253/1524 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टयर भूमि जो कि साबिक खसरा नम्बर 654 से ही बनी थी, का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.11.1992 को अपीलान्ट के हक में कर दिया जिसका नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण संख्या 470 दर्ज हो चुका है, रेस्पोडेन्ट के पूर्वज प्रभूनाथ ने अदालत को मुगालता देते हुए तथा अपीलान्ट के हक में विक्रय की गई भूमि में कोई हवाला नही देकर शेष भूमि का ही हवाला देकर कुल भूमि में से 0.58 हैक्टयर भूमि कम आना दर्शाते हुए एक आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमें साबिक खसरा नम्बर 654 जिनके नये नम्बर 1231, 1253/1525, 1254, 1252 कुल किता 4 कुल रकबा 1.39 हैक्टयर ही है में जो रकबा कम किया गया है उसे दुरूस्त किया जावें जबकि वास्तव में कोई रकबा कम नही हआ था, पत्रावली जब उपखण्ड अधिकारी चौंमू के यहॉ स्थानान्तरित हुई तो विपक्षीगण ने फिर अदालत को मुगालते में रखते हुए एवं बिना किसी संशोधन के आवेदन के धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के आवेदन को ही बिना आज्ञा अदालत के बदल दिया और लैण्ड रिकार्ड ऑफीसर के पावर जो उपखण्ड अधिकारी में निहित है, उन अधिकारों को सहायक कलक्टर से उपखण्ड अधिकारी के अवकाश पर जो आदेश लिया है वह भी अवैंधानिक है क्योंकि

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सहायक जिलाधीश को कोई अधिकार लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर को प्रदत्त नही है और लिंक ऑफीसर को ही अन्तरिम आदेश पारित करने का अधिकार भी नही है लेकिन सहायक कलक्टर चौंमू ने बतौर लिंक अधिकारी उपखण्ड अधिकारी ने जो आदेश दिनाक 23.04.2010 को पारित किया है, जो कि अधिकार विहिन अवैंधानिक, विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के काण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मूल आवेदन धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया था वह साबिक खसरा नम्बर 654 में ही नियमन होना और उसी के हाल बने खसरा नम्बरों की खातेदारी मिलाना जाहिर किया था जबकि रेस्पोडेन्ट ने अदालत को मुगालता देकर एवं गुमराह करते हुऐ खसरा नम्बर 654 से बने नये नम्बर जिनका बेचान अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट के पूर्वज प्रभूनाथ ने किया था जिनका विवरण जानबुझकर प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व में अधिनियम में नही किया गया, यदि उस भूमि को जोड़ी जाती है तो रकबे की कोई कमी नही होती है और ना ही आवेदन चलने योग्य होता है, रेस्पोडेन्ट ने जानबुझकर अपीलार्थीगण को जो कि साबिक खसरा नम्बर 654 ये हाल सेटलमेन्ट में बने नये नम्बर खसरा नम्बरान 1253 रकबा 0.46 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1253/1524 रकबा 0.10 हैक्टयर के क्रेतागण है, जिनको जानबुझकर पक्षकार नही बनाया जबकि अपीलार्थीगण साबिक खसरा नम्बर 654 पर होने वाले किसी भी आदेश से प्रभावित होते है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने सारी कार्यवाही पोषीदा व झूठे तथ्यों पर की है, जो सरासर गलत एवं निरस्तनीय है, उन्होने कथन किया है अप्रार्थीगण ने मूल आवेदन को अदालत की आज्ञा के बिना संशोधित प्रस्तुत किया है तथा उसके लिये कोई संशोधन का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया था जबकि वास्तविक्ता में प्रभूनाथ के मरने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये केवल संशोधित टाईटल ही देना था पूर्ण रूपेण आवेदन संशोधित नही किया जा सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली व रिकार्ड को देखे बिना ही मनमाने ढंग से निर्णय देने मे सरासर गलती की है और तहसीलदार ने भी सम्पूर्ण रिकार्ड की जॉच किये बिना ही व साबिक खसरा नम्बर 654 के बने नये नम्बरों को बिना मिलान क्षेत्रफल को देख ही जो रिपोर्ट पस्तुत की है उससे जाहिर होता है कि सारी कार्यवाही मिलीभगत व अनाधिकृत रूप से की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.04.2010 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम मण्डा–भिण्डा के खसरा नम्बर 654 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा का दिनांक 08.12.1964 को रेस्पोडेन्ट के पूर्वज को आवंटित हुआ थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 31.07.1976 रेस्पोडेन्ट के पूर्वज को गैर खातेदारी मे दर्ज हो चुकी थी तबसे रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 388 दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

07.08.1989 से रेस्पोडेन्ट के पूर्वज को खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी, उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 654 चौमू रेनवाल रोड़ पर व बाईकाबास स्टेण्ड पर बाईकाबास सड़क से लगवा स्थित थी जिसके हाल खसरा नम्बर 1470 रकबा 0.76 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1470/1535 रकबा 1.05 हैक्टयर कुल रकबा 1.81 हैक्टयर है। उन्होने कथन किया है कि भू प्रबन्ध के समय गत खसरा नम्बर 654 के हाल खसरा नम्बर 1231, 1252, 1254, 1253/1525 कुल किता 4 का रकबा 1.39 हैक्टयर बनाये है, उक्त आवंटित भूमि से एक किलोमीटर दूर डोलाकाबास स्टेण्ड के पास व चौंमू रेनवाल रोड़ रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज किये गये है, जो नियमानुसार गलत है व भू प्रबन्ध के समय किसी की खातेदारी भूमि को गैर मुमकिन सड़क व आवंटित भूमि को एक किलोमीटर दूर करने का कोई अधिकार नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पूर्वज को आवंटित भूमि ग्राम बाईकाबास सीमा सड़क के नजदीक व चौमू रेनवाल रोड के पास आवंटित भूमि खसरा नम्बर 654 जिसके हाल खसरा नम्बर 1468 1470, 1470/1535 कुल किता 3 का रकबा 1.82 हैटयर ही बनने चाहिये थे जिनको हाल खसरा नम्बर 1468, 1470, 1470/1535 को गत खसरा नम्बर 658 से बनये गये है, जो गलत है, खसरा नम्बर 658 के स्थान पर खसरा नम्बर 654 किया जाने आवश्यकीय था व हाल खसरा नम्बर 1252, 1253/1525, 1231, 1254 को कुल किता 4 का रकबा 1.39 हैक्टयर को गत खसरा नम्बर 654 से बनाये है, जो ग्रामें डोलाकाबास व मण्डा–भिण्डा की सीमा पर है व किस्म भी गैर मुमकिन सड़क है, जबकि रेस्पोडेन्ट को ग्राम बाईकाबास सीमा पर भूमि आवंटन हुई थी एवं भू प्रबन्ध के समय ग्राम डोलाकाबास मण्डा भिण्डा की सीमा पर रेस्पोडेन्ट की भूमि खातेदारी में दी गई है, जो नियमानुसार गलत है व रेस्पोडेन्ट को पूरा हक है कि वह इस दुरूस्त करवाकर आवंटित भूमि को यथास्थान व काबिज भूमि की खातेदारी दर्ज करवाये इसके लिये रेस्पोडेन्ट के पूर्वज ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है जिस अधीनस्थ न्यायालय द्व रा विधिवत सुनवाई करते हुऐ एवं तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न ग्राम मण्डा–भिण्डा की जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1231, 1252, 1253/1525 एवं 1254 राजस्व रिकार्ड में गै.मु. सड़क दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में जब उक्त आराजी की किस्म ही राजस्व रिकार्ड में गै.मु. सड़क दर्ज तो उसकी किस्म को कानूनन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से नही बदलाया जा सकता, इसके लिये तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा सक्षम न्यायालय में नियमित दावा दायर करके ही किसी प्रकार का कोई अनुताष प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किया ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2010 पारित किया है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2010 को निरस्त किया जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।